शटडाउन खत्म करने अड़चनें कई

सत्तापक्ष रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के बीच सहमति

वाशिंगटन, 10 नवंबर. अमेरिका में जारी शटडाउन को समाप्त करने के लिए सत्तापक्ष रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के बीच सहमति के बाद सीनेट में एक समझौता पारित हो गया है.

इसके बाद भी शटडाउन को खत्म करने के लिए कुछ और बाधाओं भी पार करनी शेष हैं. इस शटडाउन के 40 दिनों के गतिरोध को दूर करने की दिशा में दोनों दलों में हुयी बातचीत के बाद,कुछ डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन के साथ मिलकर समझौते के पक्ष में मतदान किया. यह मतदान सरकार को पैसा मुहैया कराने के लिए एक समझौता पारित करने की दिशा में पहला प्रक्रियात्मक कदम है. गतिरोध भले ही कमजोर हो गया हो लेकिन संघीय कर्मचारियों और सेवाओं की बहाली से पहले कई और बाधाओं को पार करनी होंगी. इनमें प्रतिनिधि सभा का मतदान भी शामिल है. वर्तमान शटडाउन अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन रहा है. एक अक्टूबर से कई सरकारी सेवाएं और भुगतान निलंबित हैं और 14 लाख केंद्रीय कर्मचारी अवैतनिक अवकाश पर हैं या बिना वेतन के काम कर रहे हैं.

> रिपब्लिकन के पास सीनेट में 53-47 का बहुमत अवश्य है लेकिन इस विधेयक के लिए न्यूनतम 60 वोटों की सीमा पार करने की आवश्यकता थी. वे डेमोक्रेट के आठ वोट हासिल करने में सफल रहे. इस समझौते में दिसंबर में स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी बढ़ाने पर मतदान के बनी सहमति शामिल है. यह सरकारी सहायता इस साल समाप्त होने वाली है. डेमोक्रेट्स इसमें रियायतों की मांग कर रहे थे. डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने कहा था कि वे सरकारी कार्यों के लिए नए वित्तपोषण को तब तक समर्थन नहीं देंगे.

नीति निर्माण में जनता की भागीदारी से तेज होगा विकास : बिरला

नई दिल्ली, 10 नवंबर . लोस अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकास की नीतियों और रूपरेखा निर्माण में जितनी जनता की भागीदारी होगी वह प्रदेश उतना ही अधिक विकसित हो पाएगा . श्री बिरला ने नागालैंड विस में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए भारत क्षेत्र जोन के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि विकास की नीतियों और योजनाओं में जनता की भागीदारी हो, इसके लिए हमारी विधानसभाएं उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं .

संशोधन सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, पहली मंजिल, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई - 400098. **CIN - U67100MH2007PLC174759**

इस समाचार पत्र में दिनांक **18.10.2025** को प्रकाशित **'ई-नीलामी बिक्री सूचना'** के संदर्भ में, कृपया निम्नलिखित उधारकर्ताओं के लिए नीलामी की विस्तारित तिथि नीचे दी गई तिथि के अनुसार पढ़ें:

ऋण खाता सं./ बिक्री संस्थान	कर्जदार / सह–कर्जदार का नाम	संपत्ति का स्थान	पुरानी नीलामी तिथि	नयी नीलामी तिथि
857005 HDBFS	1. शेख अनिसुर रहमान (ऋणी) 2. सहाना रहमान (सह–ऋणी)	इन्दौर	11.11.2025	19.11.2025

अन्य शेष विवरण यथावत रहेगा।

दिनांक : 11.11.2025
स्थान : मुम्बई

प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

त्रिशूल अभ्यास में सैनिकों ने दिखाए जौहर

नई दिल्ली 10 नवम्बर. भारत में तीनों सेनाओं के अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास त्रिशूल में सेनाओं के बीच बेजोड़ तालमेल, अंतरसंचालन और सहज शक्ति की क्षमता का नमूना देखने को मिला.

नौसेना ने सोमवार को बताया कि राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर में हुए इस संयुक्त अभ्यास में या कि यह संयुक्त अभ्यास में सेना, नौसेना और वायु सेना के 30 हजार से ज्यादा अधिकारियों तथा सैनिकों ने अपने जौहर दिखाए. अभ्यास में वायु सेना के 40 से ज्यादा विमानों और सहायक ग्राउंड सिस्टम, और तीनों सेवाओं के स्वदेशी हथियारों तथा प्लेटफॉर्म ने हिस्सा लिया.

> अभ्यास के दौरान सेना ने रण और क्रीक सेक्टर में अभ्यास ब्रह्माशिरा भी किया जिसमें तीनों सेवाओं, भारतीय तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल को नागरिक प्रशासन के साथ सहज समन्वय में एक साथ लाकर जमीन, समुद्र और हवा में एकीकृत क्षमताओं को प्रमाणित किया गया. अभ्यास में सेना की एक दशक लंबी परिवर्तन की यात्रा की झलक देखने को मिली जिसमें अत्याधुनिक संयुक्त नियंत्रण केंद्र और बहु-डोमेन संचालन के लिए जरूरी मजबूत संचालन बुनियादी ढांचा शामिल था.

जैसलमेर-नेहड़ाई में एटीएम उठाकर ले गए नकाबपोश

जैसलमेर, 10 नवंबर. राजस्थान के जैसलमेर जिले के नेहड़ाई क्षेत्र में शनिवार-रात को एक बेहद संगठित और डरावनी घटना सामने आई है.

स्थानीय निवासी रात करीब 12-30 बजे जब सो रहे थे, तो 5-6 नकाबपोश बदमाश बोलेरो वाहन में आए और वहां स्थित बड़ एटीएम बूथ को निशाना बनाया. चोरों ने सबसे पहले एटीएम की सीसीटीवी मशीन पर छिड़काव कर विजिबिलिटी को 'ज़ीरो' कर दिया, फिर वाहन के सहारे मशीन को खींचकर उखाड़ लिया. इस दौरान मशीन में लगभग 11 लाख की नकदी होने की बैंक के शुरुआती आंकड़ों में जानकारी है. घटना की खबर सुबह लोगों ने बैंक के एटीएम बूथ पर टूटे दरवाजे व गायब मशीन देखकर दी. इस वारदात ने ग्रामीण क्षेत्र में एटीएम सुरक्षा की कमजोरी और गुज़रती रातों की अबूझ चुनौतियों पर सवाल खड़ा कर दिया है. शनिवार की रात 12.30 बजे राजस्थान के जैसलमेर जिले के नेहड़ाई गांव में स्थित एसबीआई शाखा के एटीएम बूथ में घनी अँधेरी का फायदा उठाकर चोरों ने धाँधली भरी चोरी को अंजाम दिया. अपनी पहचान छुपाए रखे नकाबपोश लोगों ने एटीएम परिसर में प्रवेश किया — पहले सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे कर विजिबिलिटी कम की, फिर बोलेरो गाड़ी से मशीन को पट्टियों व रस्सियों से बांधकर उखाड़कर ले गए.

एक नजर में

चुनाव की तैयारी पर नेपाल-भारत के बीच संवाद

काठमांडू, 10 नवंबर . नेपाल में अगले वर्ष मार्च में होने वाले आम चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है . हाल में हुए राजनीतिक संघर्ष के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अगुवाई में नई सरकार ने सत्ता संभाली है और अब सभी प्रमुख दल आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं . इसी बीच भारत और नेपाल के बीच रविवार को अहम कूटनीतिक मुलाकात हुई . भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के गृहमंत्री ओम प्रकाश आर्यल से मुलाकात कर आगामी चुनावों से जुड़े सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के विषयों पर चर्चा की . यह बैठक काठमांडू स्थित गृह मंत्रालय में आयोजित की गई .

89 साल की उम्र में धर्मेंद्र की बिगड़ी तबीयत

मुंबई, 10 नवंबर . बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ गई . परिवार के करीबियों ने कहा कि वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं . धर्मेंद्र को एक हफ्ते से सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया . इस साल अप्रैल में धर्मेंद्र की आंख का ग्राफ्ट ऑपरेशन हुआ था . बता दें कि 8 दिसंबर 2025 को वे 90 साल के हो जाएंगे . उनके जन्मदिन को लेकर फैंस में बहुत उत्सुकता है . सभी धर्मेंद्र का स्वास्थ्य ठीक होने की कामना कर रहे हैं . धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा था . शुरुआती दौर में उन्होंने अनपढ़, बंदिनी, अनुपमा और आया सावन झूम के जैसी फिल्मों में आम आदमी के किरदार निभाए .

दिल्ली में अस्पताल के पास निर्माण पर रोक

नई दिल्ली, 09 नवंबर . दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने संजय नगर स्थित एक विवादित खुले हरित क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए निरोधक आदेश जारी किया है. आदालत ने एनकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन करने वाली ब्रैम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. हेल्थ केयर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु जोशी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी अस्पताल के गेट नंबर 4 के पास, एमसीडी पार्क के सामने स्थित सरकारी, सार्वजनिक और कृषि भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवि आंदे श्री के निधन पर शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली, 10 नवंबर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रखर कवि और विचारक आंदे श्री के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया. उन्होंने कहा है कि उनके निधन से हमारे सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य में बड़ी रिक्तता उत्पन्न हो गई है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में लिखा, आंदे श्री के विचार तेलंगाना की आत्मा को प्रतिबिंबित करते थे। प्रखर कवि और विचारक होने के नाते, वे लोगों की आवाज थे और उनके संघर्षों, आकांक्षाओं और अमर भावना को व्यक्त करते थे। उनके शब्दों में हृदय को झकझोरने, लोगों को एकजुट करने और समाज की सामूहिक मानसिकता को आकार देने की शक्ति थी. जिस तरह उन्होंने सामाजिक चेतना को काव्यात्मक सौंदर्य के साथ मिश्रित किया, वह अद्भुत था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं।

केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (CGHFL) के वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू अतिरिक्त ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीएचएफएल को अदा करें। ऋण की देय चुकौती हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीएचएफएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(ऋण खाता क्रमांक LNHLNEE000084326 (पुराना) 51200000832750 (नया) (नीमच शाखा) श्री शांति लाल (उधारकर्ता) श्रीमती सुनीता, श्री गोपाल गुर्जर, श्री प्रकाश गुर्जर (सह-उधारकर्ता)	28.10.2025 रु. 11,76,420/- (10.10.2025 तक)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसमें भूमि और भवन है, आवासीय मकान संख्या 57, भूमि क्षेत्र 1626 वर्ग फीट यानि 151.06 वर्ग मीटर, आबादी खसरा संख्या 290, पीएच संख्या 19, वार्ड संख्या 09, ग्राम खेड़ी, ग्राम पंचायत रायसिंहपुरा, तहसील मनासा, नीमच, मध्य प्रदेश-458113 पर स्थित है। उत्तर में आम सड़क, दक्षिण में श्री नंदकिशोर पुत्र श्री राजाराम गुर्जर का मकान और गली और अपनी जमीन, पूर्व में श्री रामसिंह पुत्र श्री खेमराज गुर्जर का मकान, पश्चिम में श्री कारूलाल पुत्र श्री मानसिंह गुर्जर का मकान

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। उक्त उधारकताओं को अधिनियम के तहत सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः नीमच
दिनांकः 11/11/2025

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी),
केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालयः 27-ए, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, हाउसिंग फाइनेंस, चेन्नई - 600 032, तमिलनाडु। ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट - IV A) (नियम 8(6)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के अंतर्गत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (HHF) को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई-600 015 में है। चूंकि HHF के प्राधिकृत अधिकारी ("AO") ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है/है, उन्हें उधारकताओं और गारंटरों से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर "जहाँ है जैसा है और जो है जैसा है" के आधार पर बेचने का अधिकार है। यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

ईएमडी की अंतिम तिथि: 11/12/2025 | नीलामी की तिथि: 12/12/2025 | निरीक्षण की तिथि: 08/12/2025

क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर	मांग सूचना / बकाया / कब्जा	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि	संपत्ति की अनुसूची
1	MP/INE/IDCT/A000000065 & MP/INE/IDCT/A000000323. 1. श्री अशोक शर्मा 2. श्री नारायण शर्मा 3. श्रीमती गेंदी शर्मा	डिमांड नोटिस दिनांकः 30.11.2022 कुल बकाया राशि ₹26,62,439/- कब्जे की तिथिः 23-11-2022	26/10/2023 आरक्षित मूल्यः ₹37,25,760/- बयाना राशि जमा (ईएमडी) ₹3,72,576/-	माप क्षेत्र-600 वर्ग फीट, प्लॉट/मकान नंबर 238, व्यंकटेश विहार कॉलोनी, ग्राम-छोटा बांगरदा, तहसील और जिला इंदौर (म.प्र.) और इसके चारों ओरः पूर्व कॉलोनी रोड, पश्चिम-कॉलोनी के अन्य प्लॉट, उत्तर-प्लॉट नंबर 239, दक्षिण-प्लॉट नंबर 237।
2	MP/ INE/IDCT/A000000901. 2 भूपेन्द्र गुर्जर 2. श्री रमेशचंद गुर्जर 3. श्रीमती सरिता गुर्जर	डिमांड नोटिस दिनांकः 28.02.2025 कुल बकाया रु. 25,12,921/- कब्जे की तिथिः 25-02-2025	कब्जा दिनांकः 26/05/2025 आरक्षित मूल्यः रु. 42,14,000/- बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 4,21,400/-	ग्राम मुआखेड़ी, मकान नंबर 49, चिरादमोहल्ला, इंदौर, शहरी, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत -452001 (माप 960 वर्ग फीट) कुल क्षेत्रफल-960 वर्ग फीट, माप क्षेत्रः कुल क्षेत्रफल-960 वर्ग फीट, सीमाएंः बिक्री विलेख के अनुसारः पूर्व-निरंजन हाउस, पश्चिम-राम बहादुर हाउस, उत्तर-रोड, दक्षिण-विक्रेता की जमीन
3	MP/INE/IDCT/A000001390. 1. श्री राहुल दायमा 2. श्री बद्रीलाल जी 3. श्री धर्मेंद्र दायमा 4. श्रीमती ज्योति दायमा	मांग सूचना तिथिः 28.02.2025 कुल बकाया राशि ₹13,43,574/- कब्जे की तिथिः 21-02-2025	कब्जे की तिथिः 19/06/2025 आरक्षित मूल्यः ₹22,65,120/- बयाना राशि जमा (ईएमडी) ₹2,26,512/-	मकान क्रमांक-411, पी.एच. क्रमांक 06, (क्रमांक 1133), ग्राम-नेवारी, तहसील-हाटपिपलिया एवं जिला-देवास (मध्य प्रदेश) कुल क्षेत्रफल-223.04 वर्ग मीटर। मापन क्षेत्रफलः कुल क्षेत्रफल-223.04 वर्ग मीटर। सीमाः विक्रय विलेख के अनुसारः पूर्व-दीपक मिस्त्री का मकान, पश्चिम-वीरेंद्र पुरल का प्लॉट, उत्तर-कॉमन रोड, दक्षिण-सोदान सिंह दर्दर का प्लॉट
4	MP/KHA/KHWA/A000000166. 1. श्री महेश सिटोले 2. श्री बद्री सिटोले 3. श्री मनीषा सिटोले	मांग सूचना तिथिः 20.09.2024 कुल बकाया राशि ₹1111240/- कब्जे की तिथिः 06.08.2024	कब्जे की तिथिः 20/12/2024 आरक्षित मूल्यः रु. 13,53,280/- बयाना राशि (ईएमडी) रु. 1,35,328/-	संपत्ति का विवरण (सीमाओं सहित), खसरा संख्या 457, शीट संख्या 6/15, प्लॉट संख्या 01, कॉलोनी मानचित्र के अनुसार, प्लॉट संख्या 09 का एक भाग। संपत्ति खंडवा, तरल मानकर, संत विनोबा भावे वार्ड, इंद्रपुरी कॉलोनी, खंडवा, शहरी, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत-450001 में स्थित है। कुल क्षेत्रफल-450 वर्ग फुट। माप क्षेत्रः कुल क्षेत्रफल-450 वर्ग फुट। सीमाएँः विक्रय विलेख के अनुसारः पूर्व-कन्नूलाल शरत की भूमि, पश्चिम-कॉलोनी रोड, उत्तर-प्लॉट संख्या-09 का शेष भाग, दक्षिण-प्लॉट संख्या-10
5	MP/INE/IDCT/A000000745. 1. माखन सिंह सोलंकी 2, ममता बाई सोलंकी	मांग सूचना तिथिः 18.03.2025 कुल बकाया राशि ₹7,39,268/- कब्जे की तिथिः 15.03.2025	कब्जे की तिथिः 18/07/2025 आरक्षित मूल्यः ₹12,68,800/- बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,26,880-	संपत्ति का वह पूरा भाग जो निम्न स्थान पर स्थित हैः संपत्ति का विवरण (सीमाओं सहित): मकान संख्या 52, एस.नं. 2477, पटवारी हल्का संख्या 41, तहसील टोंकखुर्द, देवास, मध्य प्रदेश 453220, क्षेत्रफल 120.81 वर्ग मीटर, पूर्व-भूमि स्वामी, पश्चिम-चन्दर सिंह की भूमि, उत्तर-विजेन्द्र सिंह की भूमि, दक्षिण-आम रास्ता, संपत्ति की प्रकृति/स्थितिः
6	MP/INE/IDCT/A000000579. 1. श्री विशाल सिंह 2, श्रीमती निकिता मौर्य	मांग सूचना तिथिः 26.04.2023 कुल बकाया राशि ₹7,73,893/- कब्जे की तिथिः 13.04.2023	भौतिक कब्जा तिथिः 25/09/2025 आरक्षित मूल्यः ₹9,50,400/- बयाना राशि जमा (ईएमडी) ₹95,040/-	प्लॉट/मकान क्रमांक 09, पी.एच. क्रमांक 22 पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग। ग्राम गंगाजलखेड़ी, तहसील देपालपुट, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट। सीमाः पूर्वः धूलेसिंह का मकान, पश्चिमः रामसिंह मास्टर का मकान, उत्तरः रामसिंह मास्टर की भूमि, दक्षिणः आम सड़क।
7	MP-INE-IDCT-A000000744. श्री राजकुमार सेंधव 2. श्रीमती पूजा सेंधव	मांग सूचना तिथिः 21.12.2024 कुल बकाया राशि ₹9,66,297/- कब्जे की तिथिः 20.12.2024	कब्जे की तिथिः 15/04/2025 आरक्षित मूल्यः ₹19,01,280/- बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,90,128/-	संपत्ति मकान संख्या 195, ग्राम सलामखेड़ी, तहसील टोंक खुर्द एवं जिला देवास, मध्य प्रदेश, भारत-455118 में स्थित है। माप क्षेत्रः कुल क्षेत्रफल 1218 वर्ग फुट। सीमाः बिक्री विलेख के अनुसारः पूर्व में सज्जन सिंह का मकान, पश्चिम में लोकल वे, उत्तर में विष्णु प्रसाद सोनी का मकान, दक्षिण में महेंद्र सिंह का मकान।
8	MP-INE-IDCT-A000000364. श्री संजय चौहान 2. श्रीमती काली बाई 3. श्री गाला सिंह	मांग सूचना तिथिः 21.12.2024 कुल बकाया राशि ₹19,83,997/- कब्जे की तिथिः 20.12.2024	कब्जे की तिथिः 15/04/2025 आरक्षित मूल्यः ₹24,31,160/- बयाना राशि जमा (ईएमडी) ₹2,43,116/-	संपत्ति स्थित है, मकान संख्या 71-बी अबीर विहार प्रदेश, 452009, माप क्षेत्रः कुल क्षेत्रफल 47.67 वर्ग मीटर, सीमाएंः बिक्री विलेख के अनुसारः पूर्व-प्लॉट संख्या 71-ए, पश्चिम-प्लॉट संख्या 77, उत्तर-प्लॉट संख्या 76-बी, दक्षिण-रोड

नियम एवं शर्तें-1. केवाईसी के साथ बयाना राशि जमा करने की डीडी जमा करने की अंतिम तिथि। निविदा फॉर्म और स्वीकृत नियम और शर्तें (निविदा दस्तावेज 11-12-2025 को अपराह्न 3:00 बजे के भीतर यहां उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या https://bankeauctions.com पर अपलोड किए गए हैं, अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा (और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, 2, बोली / प्रस्ताव खोलने की तिथि (संपत्ति के लिए नीलामी की तारीख 12-12-2025 को https://bankeauctions.com पर दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक है। 3. हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) ऊपर बताई गई संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी "जहां है जैसा है" के आधार पर, "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है वह आधार पर" की जाएगी। 4. डिमांड ड्राफ्ट केवल हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में बनाया जाना चाहिए केवल "https://bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को https://bankeauctions.com/registration/signup लिंक के माध्यम से मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पोर्टल पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता उ1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से वेबसाइट https://bankeauctions.com के माध्यम से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 7. अधिक जानकारी के लिए हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, श्री राजेश चकोटिया 8435571111 (आरआरएम), श्री वैभव श्रीवास्तव (आरएलएम) 7987969803, सुश्री अंकिता पाटिल -7723055195 (सीएलएम), श्री गोविंद चौहान 8962816436 (सीआरएम) या सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर-68, तीसरी मंजिल सेक्टर 44 गुड़गांव हरियाणा -122003 (संपर्क नंबर 7291981124,25,26) से संपर्क करें। सहायता ईमेलः Support@bankeauctions.com श्री मिथलेश कुमार, मोबाइल। +91 70808 04466. ईमेलः delhi@c1india.com और support@bankeauctions.com. आज की तिथि तक, HHFL, HHF के अधिकृत अधिकारी, को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटाने से रोकने या न्यायालयीन निषेधाज्ञा देने का कोई आदेश नहीं है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक वेबसाइट https://bankeauctions.com देखें।

स्थानः मध्य प्रदेश, दिनांकः 11/11/2025.

हस्ताक्षरकर्ता/- प्राधिकृत अधिकारी - हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आज का इतिहास

1483 ईसाई धर्म में एक नई धारा की शुरुआत करने वाले मार्टिन लूथर का जन्म।

1848 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और पार्टी के सम्मानित नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का जन्म।

1885 गोटलिएब डेमलेर ने दुनिया की पहली बाइक पेश की।

1931 हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गंगाप्रसाद अग्निहोत्री का निधन।

1950 अमेरिका के लेखक विलियम फॉकनर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मनित किया गया।

1951 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 96 को स्वीकार किया।

1963 - एशियाई शतरंज चैम्पियनशिप (1981) जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रोहिणी खादिलकर का जन्म।

1970 - फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स द गॉल का देहांत।

1983 - बिल गेट्स ने विंडोज 1.0 की शुरूआत की।

1989 - जर्मनी में बर्लिन की दीवार को गिराने का कार्य शुरू।

1990 - चंद्रशेखर भारत के आठवें प्रधानमंत्री बने।

1994 - पुलिस ने श्रीयंत्र टापू (श्रीनगर) टापू में पहुँचकर अपना कहर बरपाया।

1995 - भोपाल के प्रसिद्ध शायर फजल ताबिश का निधन।

यूको बैंक UCO BANK

(A Government of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय, 380-381, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.)
फोन: 0731-2438331, 2438305
फैक्स: 2438304, email: zo.indore@ucobank.co.in

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी दिनांक 28.11.2025

(सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत)

सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्श्यिल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत
सम्पत्ति के विक्रय की सार्वजनिक सूचना ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 27.11.2025 को सायंकाल 4 बजे तक या उसके पूर्व अचल सम्पत्ति की बिक्री जो बैंक के पास बंधक है
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्श्यिल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002

जबकि **युको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा धारा 13 (2) व सिक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्श्यिल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया है। बैंक कि बकाया राशि ब्याज सहित हेतु निम्न सम्पत्तियों को **जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है, जो कुछ भी है, बिना संसाधन** के आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणी द्वारा बैंक का बकाया मय ब्याज के चूकाने मे असफल होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम 13 (4) के अन्तर्गत सम्पत्ति की ई-नीलामी वेबसाइट द्वारा की जानी है।

क्रं.	शाखा	ऋणियों के नाम	ऋणी के खाते में बकाया राशि (₹)	सूचना दिनांक एवं आधिपत्य दिनांक	स्वायत शासी संस्थाओं का बकाया	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य यथा / बयाना राशि	ईएमडी खाता क्रं., शाखा एवं आईएफएससी कोड क्रं.	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	खण्डवा शाखा	श्री दीपक कुमार चौधरी जमानतदार: श्रीमती चम्पा बाई चौधरी	38,78,000.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	19.03.24 / 06.06.24	पता नहीं	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग मकान नं. 3, गायत्री कॉलोनी, प्लाट नं. 165/1 का दक्षिण साईड का भाग, खसरा नं. 265/23 एवं 265/34, शीट नं. 07, लालचौकी वार्ड 35, खण्डवा 450001पर स्थित संपत्ति, **क्षेत्रफल: 630 वर्गफीट बिल्ट-अप क्षेत्रफल: 945 वर्गफीट**, स्वीकृत नक्शे के अनुसार, **मालिक: श्रीमती चम्पा बाई चौधरी**, वाईड रजिस्टर्ड सेल डीड नं. 1-ए/2300 दिनांक 30/01/1980, **चर्तु:सीमा: उत्तर:** उशाबाई का प्लाट, **दक्षिण:** हरिशंकर का प्लाट, **पूर्व:** 20 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** 15 फीट सड़क	रु. 17.73 लाख / रु. 1,77,300	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	28.11.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
2.	ग्राम पिपलियाहाना शाखा, इन्दौर	श्री सुरज दास बैरागी (प्रो: मेसर्स सन एग्रोटेक)	1,99,98,974.16 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	11.02.25 / 17.04.25	पता नहीं	**संपत्ति 1:** 305 एवं 306 पर स्थित व्यवसायिक फ्लेट, असावा चेम्बर, तीसरी मंजिल, प्लाट नं. 14, स्नेह नगर, महाराजा अग्रसेन मार्ग, आईडीए स्कीम नं. 31, सपना संगीता रोड, इन्दौर 452001, सुपर बिल्टअप **क्षेत्रफल 558.80 वर्गफीट**, मालिक: श्री सुरजदास बैरागी, रजिस्टर्ड वाईड सेल डीड MP179132023AI2088197 दिनांक 05.07.2023, सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन्दौर, **चर्तु:सीमा: पूर्व:** अन्य बिल्डिंग, **पश्चिम:** कॉमन पेसेज, **उत्तर:** कॉमन सिढ़ी, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 307 **संपत्ति 2:** 307 पर स्थित व्यवसायिक फ्लेट, असावा चेम्बर, तीसरी मंजिल, प्लाट नं. 14, स्नेह नगर, महाराजा अग्रसेन मार्ग, आईडीए स्कीम नं. 31, सपना संगीता रोड, इन्दौर 452001, सुपर बिल्टअप **क्षेत्रफल 550.50 वर्गफीट**, मालिक: श्री सुरजदास बैरागी, रजिस्टर्ड वाईड सेल डीड MP179132023A12088099 दिनांक 05.07.2023, सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन्दौर, **चर्तु:सीमा: पूर्व:** अन्य बिल्डिंग, **पश्चिम:** फ्लेट नं. 308, **उत्तर:** फ्लेट नं. 306, **दक्षिण:** कॉमन पेसेज उसके बाद सड़क	रु. 67.77 लाख / रु. 6,77,700	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	28.11.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
3.	फ्रीगंज उज्जैन शाखा	श्री समीर खान पिता श्री सलीम खान एवं श्रीमती शुमाया शेख पति श्री समीर खान	13,56,519.94 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	13.10.23 / 15.01.24	पता नहीं	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग म्युनिसिपल मकान नं. 38/2 पर स्थित रहवासी मकान, लाला लाजपतराय मार्ग, गली नं. 02, फजलपुरा, उज्जैन, **संपत्ति मालिक: श्री समीर खान पिता श्री सलीम खान एवं श्री शुमाया शेख पति श्री समीर खान**, ई रजिस्ट्री नं. MP432022020A1320250, पेजेस 1-22, दिनांक 25.06.2020 को रजिस्ट्रार ऑफिस उज्जैन में पंजीकृत, **चर्तु:सीमा: उत्तर:** सरकारी गली, **दक्षिण:** दिगार का मकान, **पूर्व:** भिंजलराम का मकान, **पश्चिम:** दिगार का मकान	रु. 11.40 लाख / रु. 1,14,000	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	28.11.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
4.	पिथमपुर शाखा	मेसर्स जीतू बर्तन भंडार, प्रो. श्री जितेन्द्र राठौर पिता गेंदालाल राठौर	7,86,238.49 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	26.03.25 / 18.07.25	पता नहीं	प्लाट क्रं. 256, मिलियनेयर्स लैंडमार्क, फेज-1, ग्राम रावद, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर में स्थित खुला प्लाट, श्री जितेन्द्र राठौर पिता गेंदालाल राठौर के नाम पर बिक्री विलेख क्रमांक MP179092016A1531929 के तहत उप पंजीयक इन्दौर के यहां 14.09.2016 को पंजीकृत, **क्षेत्रफल: 800 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. बी-400, **दक्षिण:** प्लाट नं. 257, **पूर्व:** प्लाट नं. 281, **पश्चिम:** सड़क	रु. 10.00 लाख / रु. 1,00,000	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	28.11.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)

आनलाईन निविदा/नीलामी की नियम व शर्तें: (1) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें (बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी)। **(2)** इच्छुक बोलीदाता के पास एक स्वयं की वैध सक्रिय ई-मेल आईडी और पैन होना चाहिए। **(3)** अपसेट प्राईस/रिजर्व प्राईस की 10% (ईएमडी राशि) राशि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बनाये गये वर्चुअल वॉलेट में भेजी जानी चाहिये और बकाया राशि निविदा फार्म मे स्पष्ट रुप से दर्शाई जाना चाहिए। **(4)** अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण अधिकार है की वह बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताएं किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित/रद्द करने का बिक्री की किसी भी नियम व शर्तों को बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार है। **(5)** बिक्री सरफेसी संशोधित अधिनियम/नियम 2002 और शर्तों में निर्धारित शर्तों के अधीन है। **(6)** बैंक द्वारा निविदा प्रस्ताव स्वीकार्य करने के उपरांत 25% प्रतिशत राशि (प्राथमिक राशि ईमएडी सहित) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक बैंक के **खाता संख्या 22830210001462, यूको बैंक, आनंद बाज़ार शाखा, आईएफएससी कोड UCBA0002283** के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांन्सफर द्वारा जमा करनी होगी। **(7)** सफल बोलीकर्ता को अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने के 15 दिनो के भीतर बिड की बकाया राशि जमा करानी होगी यदि सफल बोलीकर्ता अपनी बकाया राशि उस अवधि के भीतर जमा करने में विफल होता है तो उस परिस्थिति में सम्पत्ति का पून: विक्रय किया जावेगा। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा कि गई राशि जब्त कर ली जावेगी। इसके अतिरिक्त उसे सम्पत्ति पर या उस सम्पत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा जिसे फिर से बेची गई है। **(8)** सम्पत्ति का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर **दिनांक 26.11.2025 को प्रात: 10.00 बजे से सांयकाल 4.00 बजे** के बीच किया जा सकता है। सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य जानकारी या विवरण के लिए **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 0731-2438331, 2438305** से संपर्क किया जा सकता है। **(9)** यदि बिक्री 30 (तीस) दीनों की अवधि के लिये स्थगित की जाती है तो बिक्री की कोई नई शर्तें नहीं होगी। **(10)** बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने के पूर्व सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट (अर्थात, **https://baanknet.com**) पर जाने की सलाह दी जाती है। नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सभी बोलीकर्ताओं को बिक्री के नियम व शर्तों को ठीक तरह से पढ़ने व समझने की सलाह दी जाती है। नीलामी सुरक्षित लेनदार बैंक की पुष्टि के अधिन है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्द में लिखित अखबार को मान्य किया जायेगा।

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 11.11.2025

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक